

पटवारी कुण्डेर वनाग तहसीलदार, उनीयारा

—: आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश संयुक्त शासन सहित राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प(3)राज/6/पार्ट/04/दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के लक्ष्य में करवाने हेतु प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1956 राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान में अभिलेख नियम, 1957 का मध्य दस्तावेज नकल जमावन्दी, नकल नक्शा, अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत कुण्डेर, पर्वी मौका पटवारी कुण्डेर, सरपंच एवं ग्रामविकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुण्डेर, गुजाल नरसी की वर्तमान रिजिट एवं अभिधा तहसीलदार, उनीयारा प्रस्तुत हुई। तहसीलदार, उनीयारा से प्राप्त सम्पूर्ण पत्रावली मध्य दस्तावेजों का ध्यानापूर्वक अवलोकन व मनन किया जिसके अनुसार तहसील उनीयारा के ग्राम कुण्डेर पटवार मण्डल कुण्डेर के खसरा नम्बर 2136/1934 में 0.65 हे० में से 0.05 हे० व खसरा नम्बर 1930 में से 3.77 हे० में से 0.08 हे० कुल रकबा 0.13 हेक्टर पर मौके पर काफी समय पुराना चालू रास्ता है किन्तु राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का तथा ग्राम विकास अधिकारी ने अपने मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया है साथ ही तहसीलदार, उनीयारा ने भी उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने की स्पष्ट अभिधा की है। इस प्रकार प्रार्थना पर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, उनीयारा को इस प्रकार प्रार्थना पर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, उनीयारा को प्रकार का विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख में गी०प० रास्ता दर्ज कर अमल दरमद कर तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया



(राजनी शीमा)  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 (न्यायालय)